-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग **05 मामलों में कुल 06 अभियुक्तों को 16000/ रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 160/98 धारा 25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त मुन्नीलाल पुत्र चन्द्रपाल निवासी बिसण्डी थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **4000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 338/92 धारा 380 भादवि के अभियुक्त कुन्ना पुत्र कलुवा निवासी बेलदान थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **3000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 31/18 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त मेहंदी हसन पुत्र मुहम्मद निवासी कोर्रही थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
4. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 83/03 धारा 494 भादवि के अभियुक्त कामता सिंह पुत्र रामसिंह निवासी बिलगांव थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
5. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 162/02 धारा 323/325/504 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-रज्जू पुत्र रामकृपाल व 2-बाबू पुत्र विजयपाल निवासी पिपरीखेड़ा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर कुल **5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।